# न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बुण्डू (राँची)

## RM वाद संख्या-33/2019-20

## छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(i)b

**श्री रामेश्वर महतो बनाम श्री नवकुँज महतो वगैरह**

**आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर**

विक्रेता का नाम एवं पता – श्री रामेश्वर महतो, पिता–स्व० डोमन महतो, ग्राम–लोवाडीह, पो०–लान्दुपडीह, थाना–सोनाहातु, जिला–राँची, जाति–कुरमी, पेशा–खेतीबारी।

क्रेता का नाम एवं पता – (1) श्री नवकुँज महतो, (2) श्री मृत्युंजय महतो, (3) श्री पंचम महतो, पिता–श्री मनसा राम महतो, ग्राम–धारूडीह, पो०–जामुदाग, थाना–सोनाहातु, जिला–राँची, जाति–कुरमी, पेशा–खेतीबारी।

विद्वान अधिवक्ता का नाम – श्री मनोज कुमार चौधरी।

विक्रेता द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक–12/06/19 को आवेदन देकर छो० का० अधिनियम 1908 की धारा–46(i)b के तहत क्रेता (1) श्री नवकुँज महतो, (2) श्री मृत्युंजय महतो, (3) श्री पंचम महतो, पिता–श्री मनसा राम महतो, ग्राम–धारूडीह, पो०–जामुदाग, थाना–सोनाहातु, जिला–राँची, जाति–कुरमी, पेशा–खेतीबारी, के हाथों निम्नलिखित भूमि की बिक्री की अनुमति माँगी हैः–

**भूमि की विवरणी**

| मौजा | थाना | थाना सं० | खाता सं० | प्लॉट सं० | रकवा |
|---|---|---|---|---|---|
| लोवाडीह | सोनाहातु | 24 | 28 | 113 | 11 डी० |

उक्त आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, सोनाहातु से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। साथ ही सर्वसाधारण को जानकारी हेतु आम ईस्तेहार भी निर्गत किया गया है।

अंचल अधिकारी, सोनाहातु का पत्रांक–278(ii) दिनांक–25/07/19 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। (अभिलेख के साथ संलग्न) जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि :–

(1) प्रस्तावित जमीन के खतियानी रैयत का नाम बुधा महतो वल्द अर्जुन महतो है।

(2) विक्रेता खतियानी रैयत/पंजी–II रैयत के पोता लगते है।

(3) पंजी–II के अनुसार रैयत का नाम डोमन महतो है।

(4) प्रस्तावित जमीन का मालगुजारी वर्ष 2018–2019 मे वसूली गयी है।

(5) विक्रेता जमाबंदी रैयत के पुत्र लगते है, तथा 1932 के सर्वे अनुसार जमाबंदी कायम है।

(6) सर्वे खतियान के अनुसार प्रस्तावित जमीन कायमी किस्म की है।

(7) प्रस्तावित जमीन बिक्री करने के पश्चात विक्रेता के पास 8.37 एकड़ भूमि शेष रह जाएगा।

(8) विक्रेता प्रस्तावित जमीन को बीमारी खर्च हेतु बिक्री कर रहे है।

(9) क्रेता एवं विक्रेता दोनो कुर्मी जाति के सदस्य है।

(10) क्रेता एवं विक्रेता दोनो एक ग्राम के निवासी है, तथा एक ही पुलिस थाना के अन्तर्गत आते है।

उपरोक्त प्रतिवेदन में अंचल अधिकारी, सोनाहातु ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा–46(i)b के तहत विक्रेता श्री रामेश्वर महतो, पिता–स्व० डोमन महतो, ग्राम–लोवाडीह, पो०–लान्दुपडीह, थाना–सोनाहातु, जिला–राँची, जाति–कुरमी, पेशा–खेतीबारी, को क्रेता (1) श्री नवकुँज महतो, (2) श्री मृत्युंजय महतो, (3) श्री पंचम महतो, पिता–श्री मनसा राम महतो, ग्राम–धारूडीह, पो०–जामुदाग, थाना–सोनाहातु, जिला–राँची, जाति–कुरमी, पेशा–खेतीबारी, के हाथों प्रस्तावित भूमि के बिक्री करने की अनुमति देने की अनुशंसा की है।

न्यायालय के द्वारा दिनांक–10/07/2019 को निर्गत आम सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। आज तक किसी भी व्यक्ति ने कोई आपत्ति दायर नही की है।

अतः अंचल अधिकारी, सोनाहातु के अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित भूमि की विक्रेता श्री रामेश्वर महतो, पिता–स्व० डोमन महतो, ग्राम–लोवाडीह, पो०–लान्दुपडीह, थाना–सोनाहातु, जिला–राँची, जाति–कुरमी, पेशा–खेतीबारी, को क्रेता (1) श्री नवकुँज महतो, (2) श्री मृत्युंजय महतो, (3) श्री पंचम महतो, पिता–श्री मनसा राम महतो, ग्राम–धारूडीह, पो०–जामुदाग, थाना–सोनाहातु, जिला–राँची, जाति–कुरमी, पेशा–खेतीबारी, के हाथों बिक्री करने की अनुमति छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 धारा–46(i)b के तहत दी जाती है। तथा आदेश दिया जाता है कि प्रस्तावित भूमि की बिक्री सरकार द्वारा निर्धारित दर से कम में नहीं करेंगें।

**भूमि का विवरण**

| मौजा | थाना/थाना सं० | खाता सं० | प्लॉट सं० | रकबा |
|---|---|---|---|---|
| लोवाडीह | सोनाहातु/24 | 28 | 113 | 11 डी० |

लेखापित एवं संशोधित।

14/08/19

भूमि सुधार उप समाहर्ता।

बुण्डू।

14/08/19

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता।

बुण्डू।